COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES 10 Rs.

COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. /2006

R898/II/06

1. रामलौटन पुत्र श्री नर्वदा प्रसाद पाण्डेय
2. रामबहोर पुत्र श्री रामदासराम ब्रा.
3. राजबहोर पुत्र श्री रामदासराम ब्रा.

निवासीगण ग्राम पैपखार, तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री रूद्रप्रसाद
2. रामसिरोमणि पुत्र श्री रामप्रताप ब्रा.
3. रमाकांत पुत्र श्री रामप्रताप ब्रा.
4. रामनिवास पुत्र श्री रामप्रताप ब्रा.

निवासीगण ग्राम पैपखार, तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र.क्रं. 599/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 6.5.06 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा ... होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

11/8/16

R. 898-II/06 रीवा

आवेदक अधि० श्री- सुरेशभान उप०/ अना० अधि० श्री- रमेश के अवकाश उप०/

2- उभयपक्ष अधि० के तर्क सुने। उनके द्वारा बताया गया है कि अभी प्रकरण सिविल न्यायालय में लम्बित है। सिविल न्यायालय का आदेश होना- [illegible] उभयपक्ष [illegible] तथा वह उनके विरुद्ध न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रकरण इस स्तर पर निराकृत किया जाता है।

सदस्य

[कृ. प. उ.

हो। अनावेदक उपस्थित हों। [illegible]